# संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

(इन्द्रावती भवन,विभागाध्यक्ष कार्यालय,ब्लाक–डी,चतुर्थ तल,नया रायपुर)

क्र./स्टेनो/संयु.संचा./लो.सु.अभि./2018/1869 नया रायपुर, दिनाक 2/2/18

प्रति,

1. **समस्त,**
   आयुक्त,
   नगरपालिक निगम,
   छत्तीसगढ़।
2. **समस्त,**
   मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़ ।

**विषयः–** "लोक सुराज अभियान 2018" के संबंध में दिशा निर्देश।

----00----

"लोक सुराज अभियान 2018" के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी के अर्द्वशासकीय पत्र कमांक 29/लो.सुअ./मुमंस/2017, दिनांक 03.01.2018 एवं मुख्य सचिव,छ.ग.शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2018 की छायाप्रति संलग्न करते हुये लेख है कि लोक सुराज अभियान के सफल कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देशो का पालन समय–सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्नः– उपरोक्तानुसार।**

2/2/18

**संयुक्त संचालक**
**संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास**
**छत्तीसगढ़ नया रायपुर**

पृक्र./स्टेनो/संयु.संचा./लो.सु.अभि./2017/1870 नया रायपुर, दिनाक 2/2/18

**प्रतिलिपिः–** 1. उप सचिव,छ.ग.शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास,मंत्रालय,महानदी भवन,नया रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.एफ 11–1/2015/18,दिनांक 12.01.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

डाटा सेंटर में अपलोड करें।

2/2/18

**संयुक्त संचालक**
**संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास**
**छत्तीसगढ़ नया रायपुर**

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
Dr. Raman Singh
Chief Minister

DO. No. 29/मो.सु.अ./1
DATE : 03-01-201

प्रिय कलेक्टर,

'लोक सुराज अभियान' के माध्यम से हमें शासन तथा प्रशासन को जनता के निकट ले जाकर सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का लाभ वास्तविक हितग्राहियों को प्रदान करने में बहुत मदद मिलती है। विगत वर्ष इस अभियान के स्वरूप में किए गए परिवर्तन से सम्पूर्ण कार्यप्रणाली सुनियोजित हुई थी, जिसके परिणाम भी काफी उत्साहजनक रहे थे। इस वर्ष पुनः 'लोक सुराज अभियान' का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा, जिसका प्रथम चरण– आवेदन प्राप्ति हेतु 12, 13 एवं 14 जनवरी 2018 को, दूसरा चरण– आवेदनों के निराकरण हेतु 15 जनवरी से 11 मार्च 2018 तक तथा तीसरा चरण– समाधान शिविर का आयोजन 12 मार्च से 31 मार्च 2018 तक होगा।

इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों के कारण मांगों और दीर्घकालीन उपायों पर ज्यादा कार्य करना संभव नहीं होगा, अतः प्राप्त शिकायतों/समस्याओं के निराकरण पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही सुशासन के विभिन्न पहलुओं, प्रचलित योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण, समीक्षा, समय पर कार्य की पूर्णता, जनता एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात आदि कार्य किए जाएंगे।

**प्रथम चरण : आवेदन प्राप्ति– 12, 13 एवं 14 जनवरी 2018**

आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन 12, 13 तथा 14 जनवरी 2018 को, 3 दिनों तक, जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्ति स्थल पर रखी जाने वाली पेटी को 'शिकायत पेटी' नहीं, बल्कि 'समाधान पेटी' का नाम दिया जाए। इस पेटी को खूबसूरत तथा आकर्षक बनाया जाए तथा स्थानीय लोक कलाओं के उपयोग से रूचिपूर्वक सजाया जाए, ताकि जनता इस 'समाधान पेटी' से जुड़े और इस पर विश्वास प्रकट करे। सॉफ्टवेयर में इन आवेदनों का पंजीयन कर उन्हें अपलोड किया जाएगा। स्केनिंग की व्यवस्था आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय में होगी। आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक आवेदन की पावती दी जाएगी।

महानदी भवन, मंत्रालय
नया रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492002
Mahanadi Bhawan, Mantralaya
Naya Raipur, Chhattisgarh - 492002
Ph. : (O) - 0771 - 2221000, 2221001
Ph. : (R) - 0771 - 2443399, 2331001
Fax : (O) - 0771 - 2221306 (R) 2331000
E-mail : cmcg@nic.in

दूसरा चरण : आवेदनों का निराकरण– 15 जनवरी से 11 मार्च 2018 तक

प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों को निराकरण हेतु संबंधित जिला/जनपद/नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग/अधिकारी इन आवेदनों का 2 माह की अवधि में निराकरण करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य स्तर से निर्धारित किया जाएगा। इन आवेदनों तथा आवेदन के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण के आधार पर आवश्यकतानुसार जिलावार/क्षेत्रवार विशेष समस्याओं के निराकरण संबधी विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। राज्य स्तर से भी आवश्यक सहयोग प्रदाय किया जाएगा।

आवेदन लेने, आवेदन लिखने या प्रपत्र भरने आदि में जनता की मदद करने के लिए जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। साफ्टवेयर में इस ड्यूटी कार्यक्रम की प्रविष्टि की जाए। इन तारीखों का व्यापक प्रचार–प्रसार, वॉल राइटिंग तथा अन्य तरीकों से किया जाए।

**तीसरा चरण : समाधान शिविर का आयोजन–12 मार्च से 31 मार्च 2018 तक**

(1) 12 मार्च से 31 मार्च 2018 के मध्य लगभग 10 पंचायतों के मध्य एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन आवेदनों के निराकरण की जानकारी आवेदकों को दी जाएगी। इसी प्रकार नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों के कार्यक्रम की जानकारी की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से व आवेदन की पावती में भी शिविर के कार्यक्रम का उल्लेख रहेगा। समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों को यथासंभव निराकरण शिविर के दिन किया जाएगा, शेष आवेदनों का निराकरण आगामी एक माह में कर आवेदकों को सूचित किया जाएगा। मांग से संबंधित आवेदनों का निराकरण बजट की उपलब्धता अनुसार नियमानुसार किया जाएगा।

इन शिविरों में सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए आवेदन पत्र/प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंडस्तरीय अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जाएगा, ताकि वह उचित समन्वय से शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित करें। शिविरों में विकासखण्ड स्तर, सब–डिवीजन स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाए। मैं स्वयं, मंत्रीगण, मुख्य सचिव,

प्रभारी सचिव एवं राज्य शासन के अधिकारी भी कुछ शिविरों में भाग लेंगे तथा कुछ आवेदकों से भेंट कर उनकी समस्याओं व निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

**(2) विकास कार्यों का औचक निरीक्षण :** प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं से लोगों को मिल रहे लाभ के बारे में 'फीडबैक' लिया जाएगा। सरकारी अस्पताल, छात्रावास, विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, महाविद्यालय, तहसील कार्यालय, राशन दुकान, बस स्टैण्ड, परियोजना कार्यालय आदि से लेकर खेत–खलिहानों और चौपालों तक, कहीं भी जाकर मैं आकस्मिक निरीक्षण करूंगा तथा जनता से 'फीडबेक' लूंगा। मंत्रीगण, संसदीय सचिव तथा प्रभारी सचिव भी अपने स्तर पर यह प्रक्रिया अपनाएंगे।

**(3) समीक्षा बैठक :** दोपहर पश्चात् जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण तथा विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। राज्य स्तर से बिन्दुवार समीक्षा–पत्रक उपलब्ध कराए जाएंगे।

**(4) प्रेस कॉन्फरेंस तथा अन्य कार्यक्रम :** रात्रि विश्राम वाले स्थानों पर गणमान्य नागरिकों, विद्यार्थियों, समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों आदि से भेंट करूंगा। समीक्षा बैठक के उपरांत या अन्य उपयुक्त समय पर मैं प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करूंगा।

**मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा :** मंत्रीगण तथा सचिवगण अपने–अपने प्रभार के जिलों में मेरी तरह निरीक्षण तथा समीक्षा करेंगे, अतः इनके कार्यक्रमों का समन्वय भी कलेक्टरों के द्वारा किया जाना है।

**प्रशिक्षण :** विगत वर्ष की तरह इस बार भी लोक सुराज अभियान में सूचना–प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन लेने, उसकी प्रविष्टि, मॉनीटरिंग, समाधान आदि के लिए बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाएगा। अतः इसके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

**गुणवत्ता :** आवेदन पत्रों के समाधान की गुणवत्ता की भी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी, जो जिला तथा राज्य स्तर पर होगी। वेबसाइट में जिला स्तर पर प्रगति, प्रेस नोट, मीडिया कवरेज आदि सामग्री भी उपलब्ध रहेगी।

**जनप्रतिनिधियों की भागीदारी :** जिला कलेक्टरों की यह जिम्मेदारी भी होगी कि वे स्थानीय सांसदों/विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को इस आयोजन से जोड़ें और उन्हें यथोचित जानकारियां समय पर उपलब्ध कराएं।

**प्रचार–प्रसार :** जनसम्पर्क विभाग द्वारा लोक सुराज अभियान के प्रचार–प्रसार के लिए मीडिया रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई जाएगी, जिसमें प्रचार के विभिन्न माध्यमों का सहयोग लिया जाएगा। प्रचार–प्रसार का एक हिस्सा जिलों पर केन्द्रित रहेगा और दूसरा हिस्सा राज्य स्तरीय होगा। जिलों में कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत जैसे विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार रथ का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मौलिक तथा स्थानीय अभिरुचि का ध्यान रखा जाना चाहिए।

'लोक सुराज अभियान 2018' को एक समग्र लोक अभियान के रूप में संचालित किया जाना है। इस सम्पूर्ण अभियान में जिला कलेक्टरों और उनकी टीम की भूमिका होगी। विभिन्न विभागों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण तथा आवश्यकतानुसार समाज के विभिन्न वर्गों एवं स्वयंसेवी संगठनों को इस अभियान से जोड़ने में भी जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अभियान में जिला कलेक्टरों की भूमिका मुख्य संयोजक की तरह की होगी, अतः 'लोक सुराज अभियान 2018' की सफलता आपके समर्पित प्रयासों पर निर्भर होगी।

भवदीय,

(डॉ. रमन सिंह)

**श्री/श्रीमती ..............................................**
**कलेक्टर**
**........................................................**
**छत्तीसगढ़**

पृ.क्र. 29 /लोक सुराज अभियान/मुमंस/2017 रायपुर, दिनांक 03/01/2018

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. समस्त निज सचिव, मान. मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. समस्त निज सचिव, माननीय संसदीय सचिवगण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
6. संचालक, जनसंपर्क, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
8. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़

US(C)

3.1.18

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव, मुख्यमंत्री

Dy. Secretary/US/OSD(T)OSD(A)/PA
Director Adl.Dr.(F)/CE/(A)/DD(F)
ACEO/DCEO (M)/DCEO(F)/OSD(P)/OSD
5/1/18
Secretary
Urban Admin. & Dev. Deptt.

पत्र जावक क्र. ...47... सचिव/नप्रविवि/18
दिनांक ...08/01............ 2018

169

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 7–01/2018/एक/6 — नया रायपुर, दिनांक 06 जनवरी, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
(जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

**विषय:–'लोक सुराज अभियान' के आयोजन के संबंध में।**

—00—

राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कार्यकमों तथा अभियानों का लाभ वास्तविक हितग्राहियों (विशेषकर गाँव, गरीब और किसानों) को प्रदान करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी के मंशानुसार राज्य में वर्ष, 2018 में भी **'लोक सुराज अभियान'** का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा पत्र कमांक 29/लो.सु.अ/मुमंस/2017, दिनांक 03.01.2018 द्वारा आपको सूचित किया जा चुका है। **'लोक सुराज अभियान'** को सफल बनाने का दायित्व शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों एवं सभी कार्यालयों की होगी। 'लोक सुराज अभियान' का आयोजन निम्नलिखित तिथिवार तीन चरणों में किया जाना है।

**प्रथम चरण : आवेदन प्राप्ति– 12, 13 एवं 14 जनवरी 2018**

आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन 12, 13 तथा 14 जनवरी 2018 को, 3 दिनों तक, जिला तथा विकासखण्ड मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्ति स्थल पर रखी जाने वाली पेटी को **'शिकायत पेटी'** नहीं, बल्कि **'समाधान पेटी'** का नाम दिया जाए। इस पेटी को खूबसूरत तथा आकर्षक बनाया जाए तथा स्थानीय लोक कलाओं के उपयोग से रूचिपूर्वक सजाया जाए, ताकि जनता इस **'समाधान पेटी'** से जुड़े और इस पर विश्वास प्रकट करे। सॉफ्टवेयर में इन आवेदनों का पंजीयन कर उन्हें अपलोड किया जाए। स्केनिंग की व्यवस्था आवेदन प्राप्त करने वाले कार्यालय में की जाए। आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त किए जाएं। प्रत्येक आवेदन की पावती दी जाए।

द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। जिला के प्रभारी सचिव द्वारा भी अपने स्तर पर यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

**(3) समीक्षा बैठक :** जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण तथा विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी।

**प्रशिक्षण :** विगत वर्ष की तरह इस बार भी लोक सुराज अभियान में सूचना–प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जाए, जिसके लिए आवेदन लेने, उसकी प्रविष्टि, मॉनीटरिंग, समाधान आदि के लिए बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाएगा। अतः इसके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

**गुणवत्ता :** आवेदन पत्रों के समाधान की गुणवत्ता की भी निगरानी की व्यवस्था की जाए जो जिला तथा राज्य स्तर पर होगी। वेबसाइट में जिला स्तर पर प्रगति, प्रेस नोट, मीडिया कवरेज आदि सामग्री भी उपलब्ध कराई जावे।

**जनप्रतिनिधियों की भागीदारी :** जिला कलेक्टरों की यह जिम्मेदारी भी होगी कि वे स्थानीय सांसदों/विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को इस आयोजन से जोड़ें और उन्हें यथोचित जानकारियां समय पर उपलब्ध करायी जाए।

मै चाहूंगा कि 'लोक सुराज अभियान 2018' को एक समग्र लोक अभियान के रूप में संचालित किया जाए। इस सम्पूर्ण अभियान में विभिन्न विभागों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण तथा आवश्यकतानुसार समाज के विभिन्न वर्गों एवं स्वयंसेवी संगठनों को इस अभियान से जोड़ने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अभियान में जिला कलेक्टरों की भूमिका मुख्य संयोजक की तरह की होगी। अतः 'लोक सुराज अभियान 2018' की सफलता के लिए समर्पित प्रयास किया जाए।

6/1/18

(विवेक ढांड)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन